न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 07/2017

अपीलान्ट
1. पुरखाराम पुत्र लक्ष्मणराम
   जाति जाट निवासी बारुडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण
1. ग्राम पंचायत भाखरपुरा जरिये सरपंच
2. तहसीलदार गुड़ामालानी
3. भगवाना वल्द लक्ष्मणा
4. काछबा वल्द लक्ष्मणा
   जाति जाट निवासी बारुडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत भाखरपुरा दिनांक 8.04.1964 ग्राम बारुडी के नामान्तरकरण संख्या 33 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध

उपस्थित :–
1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10/01/22

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता लक्ष्मणा वल्द रामकिशन के नाम से खातेदारी की भूमि ग्राम बारुडी में खेत खसरा नम्बर 278, 297, 304 रकबा कमशः 34–01, 15–11, 12–15 बीघा की आई हुई थी। अपीलान्ट के पिता लक्ष्मणा का स्वर्गावास होने से का फौतगी का नामान्तरणकरण संख्या 33 राजस्व कर्मचारियों द्वारा खोला गया। उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त अपीलान्ट का नाम पुरखाराम वल्द लक्ष्मणाराम के स्थान पर वना वल्द लक्ष्मणा गलत दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट का सही नाम पुरखाराम वल्द लक्ष्मणाराम है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में गलती से पुरखाराम वल्द लक्ष्मणाराम के स्थान पर वना वल्द लक्ष्मणा लिख दिया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से दायर किये गये नामान्तरकरण को हू–ब–हू अपीलान्ट को बगैर सुने स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 33 ग्राम पंचायत भाखरपुरा के स्वीकृत आदेश में अपीलान्ट का नाम वना वल्द लक्ष्मणा के स्थान पर सही नाम पुरखाराम वल्द लक्ष्मणाराम दर्ज कर स्वीकृत करने का आदेश प्रदान कराने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत करना आवश्यक होने से पेश की गई।

अपील दिनांक 20.06.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध सम्मन [illegible] किये गये। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ [illegible] कार्यवाही की गई। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी [illegible] क्रमांक 03 दिनांक 15.06.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] पुरखाराम का नाम उसकी खातेदारी भूमि ग्राम बारुडी के खेत खसरा न[illegible] 278, 297, 304 कुल [illegible]–07 बीघा में उसके पिता लक्ष्मणा वल्द रामकेन के फौत होने पर दर्ज नामान्तरण संख्या 33 मूल ग्राम सिंधासवा चौहान में बना वल्द लक्ष्मणा दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी पुरखाराम उस समय नाबालिग था। प्रार्थी के मतदाता पहचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम पुरखाराम वल्द लक्ष्मणा दर्ज है, पुरखाराम व वना दोनों एक ही व्यक्ति है। साथ ही ग्राम बारूडी के खेत खसरा नम्बर 278, 297, 304 कुल रकबा 62–07 बीघा में वना वल्द लक्ष्मणा के स्थान पर पुरखाराम वल्द लक्ष्मणा शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने 100/– के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। समस्त रेकर्ड का अवलोकन करने तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अपील विलम्ब से पेश करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 33 ग्राम बारूडी के खेत खसरा संख्या 278, 297, 304 रकबा क्रमशः 34–01, 15–11, 12–15 बीघा में अपीलाण्ट का नाम "पुरखाराम वल्द लक्ष्मणा" के स्थान पर सही नाम "पुरखाराम वल्द लक्ष्मणाराम" दर्ज कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 10/1/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested